रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 1977/आश्विन 15, 1899
No. 197] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1977/ASVINA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 7th October, 1977

No. DRAWBACK/PN-42/77.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Tables published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

After Sub-serial No. 1301 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1302	INDIGO PURE	Rs. 7 90 (Rs. seven and paise ninety only) per kg]

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1977

सं० प्रतिअदायगी, सा०सू०-42/77.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधि-सूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी, सा० सू० 1, दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 1301 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उपक्रमांक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1302	शुद्ध नील	7.90 रुपये (केवल सात रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलो ग्राम ।

उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित सभी आड दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने से वापिस ली हुई मानी जायेंगी ।

No. DRAWBACK/PN-43/77.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No 52/F/No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For Sub-Serial No. 5804 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
5804	Cut and polished diamonds of not less than 12 pieces per carat.	3% (Three percent only) of the f.o.b value.

Provided that—

1. The above rate shall apply only to :—

(i) the shipments made by the exporter in discharge of his export obligation in respect of import of rough diamonds under the advance licences issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

(ii) shipments of Cut and polished diamonds manufactured out of rough diamonds imported against replenishment licences or Release orders issued by the licensing authorities, subject to the following conditions.

(a) The exporter is the same who had originally imported the rough diamonds against REP licences/Release Orders

(b) The importer at the time of import of the rough diamonds makes a declaration in the Bill of Entry that they would be exporting within a period of six months, from the date of importation, under claim for drawback cut and polished diamonds (of not less than 12 pieces per carat) manufactured therefrom He will also indicate in the Bill of Entry, (duly supported by the import invoice) the sieve size, caratage, and the type of rough diamonds imported and any other particulars that would render possible the Co-relation of the imported roughs with the cut and polished diamonds to be exported

(c) The exporter declares in the export invoices attached to the Shipping Bill the sizes of cut and polished diamonds being exported, and establishes to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs, the broad Co-relation between the sizes of rough diamonds imported earlier and the export goods

2. The drawback amount shall not exceed the amount of duty paid under the relevant bills of entry relating to such imports against the concerned Advance or Replenishment licences.

K. C. MAMGAIN, Under Secy.

सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू०-043/77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनाक 25 अगस्त, 1971 मे प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासशोधित सार्वजनिक सूचना स० प्रतिग्रदायगी पी० एन० 1, दिनाक 15 अक्टूबर, 1971 मे प्रकाशित सारणी मे एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है.—

उपक्रमांक 5804 और तत्संबंधी प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
5804	तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरे जो प्रति कैरट 12 टुकडो से कम न हों	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)।

बशर्ते कि—

(i) मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात द्वारा जारी किये गये अग्रिम लाइसेसो के अन्तर्गत बिना पालिश किये हीरो के आयातो के संबंध मे निर्यातकर्त्ता के निर्यात दायित्व पूरा करने में उसके द्वारा किये गये पोत लदान पर ;

(ii) लाइसेंसिंग अधिकारियो द्वारा जारी किये गये सम्पूर्ति लाइसेस अथवा मुक्ति आदेशों पर आयात किये गये बिना पालिश किये हुए हीरो से निर्मित तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरो के पोत लदान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त लागू होगी :—

(क) निर्यातकर्ता वही है जिसने मूल रूप से सम्पूर्ति लाइसेस/मुक्ति आदेशो पर बिना पालिश किये हुए हीरों का आयात किया था।

(ख आयातकर्त्ता बिना पालिश किये हुए हीरों के आयात के समय आगम-पत्र मे यह घोषणा करे कि वह उन निर्मित तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरो का जो प्रति कैरट 12 टुकड़ों से कम नहीं हों प्रति-अदायगी दावे के अन्तर्गत, आयात की तारीख से 6 महीने की अवधि के अन्दर निर्यात करेगा । वह आगम-पत्र मे, (आयात बीजक द्वारा विधिवत समर्थित) सीध आकार, कैरट तोल बिना पालिश किये हुए आयातित हीरों की किस्म, और कोई अन्य विवरण जो निर्यात किये जाने वाले तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरो का, आयात किये गये बिना पालिश किये हुए हीरों के साथ संभव सहसंबंध स्थापित करता हो, का भी उल्लेख करेगा ।]

(ग) निर्यातकर्ता पोत-लदान बिल के साथ संलग्न निर्यात बीजकों मे निर्यात किये जाने वाले तराशे और पालिश किये गये हीरो के आकारो की घोषणा करे और सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधान के लिए पहले आयात किये गये बिना पालिश किये हुए हीरों और निर्यात के माल के बीच मोटे तौर पर सहसंबंध होना प्रभावित करे ।

2. संबंधित अग्रिम अथवा सम्पूर्ति लाइसेंसों पर ऐसे आयात से सबधित संगत आगम-पत्रो के अन्तर्गत अदा किये गये शुल्क की रकम प्रतिअदायगी की रकम से अधिक नही होगी ।

के० सी० ममगाईं, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977